

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 10933/2026
URN: CRLMB / 20257U / 2026

Madhuri Bhogawat D/o Shyam Bhogawat, Aged About 27 Years,
R/o 1744, Sansi Basti, Bhagwanganj, Ajmer, Police Station
Ramganj, Ajmer. (Accused In Central Jail, Ajmer).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Jai Raj Tantia, Adv.
For Respondent(s)	: Mr. Amit Kumar Gupta, Addl. GA

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Order

17/07/2026

प्रार्थिया/अभियुक्ता की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना— रामगंज (अजमेर) जिला— अजमेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या— 85/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 8/21, 8/22 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में पेश किया गया है।

प्रार्थिया/अभियुक्ता के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि प्रकरण में प्रार्थिया/अभियुक्ता एक महिला है एवं वह पूर्णतया निर्दोष है, उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में प्रार्थिया/अभियुक्ता से जो 33.32 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक एवं 9.50 ग्राम मादक पदार्थ एमडी जब्त किया जाना बताया गया है, वह वाणिज्यिक मात्रा से कम है। उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में सहअभियुक्ता की जमानत समकक्ष पीठ द्वारा दिनांक 30.06.2026 को ली जा चुकी है एवं प्रकरण में पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थिया/अभियुक्ता दिनांक 02.04.2026 से

अभिरक्षा में चल रही है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थिया/अभियुक्ता को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए उसे अस्वीकार करने की प्रार्थना की।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थिया/अभियुक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थिया/अभियुक्ता का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थिया/अभियुक्ता **माधुरी भोगावत पुत्री श्याम भोगावत** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थिया/अभियुक्ता इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो संबंधित थानाधिकारी के माध्यम से प्रार्थिया/अभियुक्ता व उसके प्रतिभू के वर्तमान पते सत्यापित करने के उपरांत प्रार्थिया/अभियुक्ता को अविलम्ब निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

शर्तः—

1. जमानत पर आजाद होने के 7 दिवस के अंतर्गत प्रार्थिया/अभियुक्ता अपना वर्तमान पता एवं मोबाइल नंबर, जो वह उपयोग में ले रही है, उसका विवरण संबंधित थानाधिकारी को उपलब्ध कराएगी व संबंधित थानाधिकारी उक्त पते व मोबाइल नंबर को सत्यापित करेगा। यदि प्रार्थिया/अभियुक्ता अपने वर्तमान पते व मोबाइल नंबर में कोई परिवर्तन करती है, तो उसकी सूचना भी तुरंत प्रभाव से संबंधित थानाधिकारी एवं संबंधित न्यायालय को देगी।
2. प्रार्थिया/अभियुक्ता प्रत्येक माह की 25 तारीख को, विचारण की समाप्ति तक, संबंधित पुलिस थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। संबंधित

पुलिस थानाधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थिया/अभियुक्ता की उपस्थिति दर्ज करते हुए नियमित रजिस्टर का संधारण करेगा एवं उक्त उपस्थिति की रिपोर्ट उसी दिन (अवकाश होने पर अगले दिन) संबंधित विचारण न्यायालय को बिना किसी विलंब के प्रेषित करेगा। यदि प्रार्थिया/अभियुक्ता उक्त शर्त का उल्लंघन करती है या ऐसे किसी अपराध की पुनरावृत्ति करती है या उसमें लिप्त पाई जाती है, तो संबंधित लोक अभियोजक उक्त आधार पर प्रार्थिया/अभियुक्ता की जमानत को निरस्त करने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगा।

इस आदेश की एक प्रति संबंधित थानाधिकारी को अनुपालना हेतु भेजी जावे।

(BHUWAN GOYAL),J